भारत सरकार, रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती सेल, मध्य रेलवे

सीपीएम कन्वर्जन भवन, पी.डी' मेलो रोड
वाडीबंदर, मुंबई-400010

सत्यमेव जयते

रोजगार सूचना संख्या आरआरसी/सीआर/01/2021 दिनांक 04/12/2021

वर्ष 2021-22 के लिए मध्य रेलवे में खुली भर्ती द्वारा स्काउट और गाइड कोटा के तहत भर्ती

ऑनलाइन आवेदन की आरंभ तिथि और समय	06/12/2021, 11.00 बजे
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और समय	20/12/2021, 17.00 बजे

1. वर्ष 2021-22 के लिए मध्य रेलवे में स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा के तहत लेवल 1 में दस (10) पदों (यानी मुंबई, भुसावल, नागपुर, पुणे और सोलापुर मंडल प्रत्येक के लिए 02 पद) और लेवल 2 में दो (02) पदों पर भर्ती के लिए मध्य रेलवे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद सभी वर्गों के लिए खुले हैं और किसी भी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

1.1 रेलवे सेवाओं में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार:

ए) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

बी) नेपाल का निवासी होना चाहिए, या

सी) भूटान का निवासी होना चाहिए, या

डी) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आया था, या

ई) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया या जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया है:

बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (बी), (सी), (डी) और (ई) से सम्बद्ध उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

1.1.1 एक उम्मीदवार जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन चयन होने की स्थिति में उसे नियुक्ति प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जाएगा।

1.1.2 आवेदक दोनों श्रेणियों अर्थात लेवल 2 और लेवल 1 के लिए **आवेदन कर सकते हैं, यदि वे नीचे अनुक्रमांक** 2 में दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करें। लेवल 2 और लेवल 1 पद के लिए निर्धारितशुल्क के साथ अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन भरना है। लेवल 2 और लेवल 1 के लिए अलग-अलग परीक्षा आयोजित की जाएगी।

2. पात्रता शर्तें

2 (अ) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

अनुक्रमांक	पद	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	लेवल 2	कम से कम कुल 50% अंकों के साथ 12 वीं (+2 स्टेज) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 50% अंकों की अनिवार्यता नहीं होगी या मैट्रिक उत्तीर्ण के साथ ही कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप या मैट्रिक उत्तीर्ण के साथ ही एनसीवीटी / एससीवीटी द्वारा अनुमोदित आईटीआई। नोट: इंजीनियरिंग में डिप्लोमा को वैकल्पिक उच्च योग्यता के रूप में नहीं माना जाएगा।
2	लेवल 1	10 वीं उत्तीर्ण या आईटीआई या समकक्ष या एनसीवीटी द्वारा दिया गया नैशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट (एनएसी)। या 10 वीं उत्तीर्ण के साथ एनसीवीटी द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) या 10वीं उत्तीर्ण के साथ आईटीआई
नोट:		क्लर्क-सह-टाइपिस्ट की श्रेणी में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग दक्षता हासिल करनी होगी और उस समय तक इस श्रेणी में उनकी नियुक्ति अनंतिम होगी।

2 (ब) स्काउट और गाइड योग्यता: (लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के लिए)

i) राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर या किसी भी अनुभाग में हिमालयन वुड बैज (एचडब्ल्यूबी) धारक;

ii) पिछले 5 (पांच) वर्षों यानी 2016-17 से किसी स्काउट संगठन का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। "सक्रियता का प्रमाण पत्र" संलग्न अनुलग्नक "ए" के अनुसार होना चाहिए, और

iii) राष्ट्रीय स्तर या अखिल भारतीय रेलवे स्तर पर दो कार्यक्रमों और राज्य स्तर पर दो कार्यक्रमों में भाग लिया हो।

3. आयु सीमा

3.1 निचली और ऊपरी आयु सीमा की गणना दिनांक 01/01/2022 से की जाएगी। आवश्यक प्रमाण पत्र जमा किये जाने पर ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जा सकती है।

3.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तक।

3.3 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवारों के लिए 3 साल तक।

3.4 भूतपूर्व सैनिकों के लिए रक्षा सेवाओं में प्रदान की गई सेवा की सीमा तक +3 वर्ष, बशर्ते उन्होंने सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा की हो।

3.5 दिनांक 1/1/1980 से 31/12/1989 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में सामान्य रूप से रहने वाले उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तक।

3.6 अनारक्षति दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए 10 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 13 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए 15 वर्ष।

3.7 विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से पति से अलग लेकिन पुनर्विवाह न करने वाली महिलाओं के मामले में ऊपरी आयु सीमा - अनारक्षति के लिए 35 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष होगी।

3.8 रेलवे संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में काम करने वालों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में छूट खंडित भागों में की गई सेवा की अवधि तक अधिकतम 5 वर्ष होगी।

लेवल -2 के लिए आवेदन करने वाले सेवारत आकस्मिक श्रमिक और एवजी अनारक्षति उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 43 वर्ष होगी, बशर्ते उन्होंने न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा (निरंतर या खंडित भागों में) दी हो।

3.9 लेवल-1 पदों के लिए आवेदन करने वाले कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अपरेंटिस (सीसीएए) के लिए आयु सीमा - अनारक्षति उम्मीदवारों के लिए 33 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 36 वर्ष और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 38 वर्ष के अतिरिक्त उनके द्वारा अपरेंटिस अधिनियम, 1961के तहत प्राप्त अपरेंटिस प्रशिक्षण की अवधि तक अधिकतम तीन (3) वर्ष होगी।

3.10 उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए (दोनों दिन सहित)

लेवल 2 के लिए

आयु समूह	18 से 30 (अनारक्षित के लिए), अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए + 5 साल और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए +3 साल		
जन्म तिथि की ऊपरी सीमा	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
	01/01/1992	01/01/1989	01/01/1987
जन्मतिथि की निचली सीमा सभी के लिए	01/01/2004		
टिप्पणियां	पैरा 3.5 से 3.8 में सूचीबद्ध श्रेणियों के लिए आयु में छूट, प्रत्येक के सामने दर्शाये अनुसार लागू होगी।		

लेवल 1 के लिए

आयु समूह	18 से 33 (अनारक्षित के लिए), अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए +5 साल और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए + 3 साल		
जन्म तिथि की ऊपरी सीमा	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
	01/01/1989	01/01/1986	01/01/1984
जन्मतिथि की निचली सीमा सभी के लिए	01/01/2004		
टिप्पणियां	पैरा 3.5 से 3.8 में सूचीबद्ध श्रेणियों के लिए आयु में छूट, प्रत्येक के सामने दर्शाये अनुसार लागू होगी।		

4. परीक्षा शुल्क

(i)	नीचे दिए गए उप-अनुच्छेद (ii) में उल्लिखित उम्मीदवारों के अलावा सभी उम्मीदवारों के लिए	रु.500/- (पांच सौ रुपये मात्र), बैंक शुल्क काटने के बाद उन लोगों को रु. 400/- वापस करने के प्रावधान के साथ, जो अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और वास्तव में लिखित परीक्षा में शामिल होते हैं।
(ii)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांग व्यक्तियों/ महिलाओं/अल्पसंख्यकों*और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए**	रु.250/- (रुपये दो सौ पचास मात्र), बैंक शुल्क काटने के बाद उन लोगों को यह रकम वापस करने के प्रावधान के साथ जो अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और वास्तव में लिखित परीक्षा में उपस्थित होते हैं। इस श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। अपात्र, लेकिन फिर भी आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

4.1 शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा।

4.2 आवेदन पत्र में विवरण की यथार्थता सुनिश्चित करने के बाद, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के साथ एकीकृत किये गए भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके बाद कोई परिवर्तन/ संपादन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.3 डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी प्रदान करके भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक द्वारा लगाया गया संव्यवहार शुल्क, यदि

कोई हो, उम्मीदवारों द्वारा वहन किया जाएगा।

4.4 संव्यवहार के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर, उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई तारीख के साथ ई-रसीद उत्पन्न होगी जिसे उम्मीदवार द्वारा सहेज कर/प्रिंट करके संभाल कर रखा जाना चाहिए।

4.5 यदि ऑनलाइन संव्यवहार सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ हो, तो कृपया फिर से ऑनलाइन भुगतान करें

5. शुल्क में छूट

5(अ) परीक्षा शुल्क से छूट/वापसी का दावा करने के लिए, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अनुलग्नक - 'बी' में उल्लिखित 'स्व-घोषणा' प्रस्तुत करनी चाहिए।

*अल्पसंख्यकों का अर्थ है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जोरोट्रीयन (पारसी)।

दस्तावेज़ सत्यापन के समय परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह उपरोक्त में से किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है। यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवारी ख़ारिज कर दी जाएगी।

5(ब) **आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) का तात्पर्य उन उम्मीदवारों से होगा जिनकी पारिवारिक आय रुपये 50,000/- प्रति वर्ष से कम है।

निम्नलिखित प्राधिकरण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) की पहचान के लिए आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।

(ii) अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के मौजूदा सांसद।

(iii) किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या कोई अन्य प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी Izzat एमएसटी।

(iv) केंद्रीय मंत्री देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए सिफारिश कर सकते हैं।

(v) उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के वर्तमान सदस्य जिसमें ये सांसद सामान्यतया निवास करते हैं।ऊपर उल्लिखित अधिकारियों द्वारा जारी किया गया वैध आय प्रमाण पत्र अनुलग्नक-'सी' में होना चाहिए, जिसे दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना है।

6. भर्ती प्रक्रिया (दोनों लेवल के लिए)

6.1(अ) अधिसूचना के क्रम में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पात्र पाए जाने पर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। रिक्तियों के केवल 2.5 गुना की सीमा तक, उन उम्मीदवारों को जिन्होंने लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त किए हैं, प्रमाणीकरण पर अंकों की भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरण के लिए बुलाया जाएगा।

(अ)	लिखित परीक्षा		60 अंक
	लेवल-2 और लेवल-1 दोनों के लिए, लिखित परीक्षा में स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन और इसकी गतिविधियों और सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (40 अंक) और 1 निबंधात्मक प्रश्न (20 अंक) होंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में नकारात्मक अंकन होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का 1/3 काट लिया जायेगा।		
(ब)	प्रमाणपत्रों पर अंक		40 अंक
	(i)	राष्ट्रीय कार्यक्रमों/राष्ट्रीय जंबोरी (भारतीय रेलवे के सभी कार्यक्रमों सहित) में भागीदारी/प्रदान की गई सेवा :	10 अंक
	•	प्रथम दो प्रमाण पत्र (अर्थात न्यूनतम पात्रता अहर्ता)	शून्य
	•	एक अतिरिक्त कार्यक्रम	07 अंक
	•	दो या दो से अधिक अतिरिक्त कार्यक्रम	10 अंक
	(ii)	राज्य स्तरीय कार्यक्रमों/रैलियों में भागीदारी/प्रदान की गई सेवा	10 अंक
	•	प्रथम दो प्रमाण पत्र (अर्थात न्यूनतम पात्रता अहर्ता)	शून्य
	•	एक अतिरिक्त कार्यक्रम	07 अंक
	•	दो या दो से अधिक अतिरिक्त कार्यक्रम	10 अंक
	(iii)	राष्ट्रीय/राज्य/अखिल भारतीय रेलवे स्तर पर आयोजित विशेष स्काउट/गाइड पाठ्यक्रम:	10 अंक
	•	एक पाठ्यक्रम	07 अंक
	•	दो या अधिक पाठ्यक्रम	10 अंक
	(iv)	जिला रैलियों में भागीदारी	10 अंक
	•	एक प्रमाणपत्र	शून्य
	•	दो प्रमाणपत्र	07 अंक
	•	तीन प्रमाणपत्र	10 अंक
	कुल (अ + ब)		100 अंक

6.1(ब) लिखित परीक्षा का पाठ्यविवरण (दोनों लेवल के लिए)

स्काउटिंग/गाइडिंग का इतिहास; नियम और प्रतिज्ञा; संगठन-जिला और राज्य स्तरीय; प्रशिक्षण केंद्र - जिला और राज्य स्तरीय; पुस्तकों का ज्ञान; भारत में लड़कों के लिए स्काउटिंग/लड़कियों के लिए गाइडिंग; मोटो बाएं हाथ मिलाना; सलाम; प्रार्थना; झंडा गीत; राष्ट्रगान; राष्ट्रीय और स्काउटिंग झंडे को जानें; विभिन्न अवसरों पर सामाजिक सेवाएं; लंबी पैदल यात्रा; प्रवीणता बैज, ये कैसे अर्जित किए जाते हैं? स्काउटिंग/गाइडिंग के चरण: चिंतन दिवस; स्काउट्स/गाइड्स/रोवर्स/रेंजर्स का प्रगतिशील प्रशिक्षण; पायोनियरिंग; हस्तशिल्प; भारतीय रेलवे जंबोरेट; राष्ट्रीय जंबोरी; हवाई जंबोरी।

राष्ट्रीय स्तर पर संगठन; राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, डब्ल्यूएजीजीजीएस/डब्ल्यूओएसएम-उपराष्ट्रपति पुरस्कार प्रतियोगिता; प्रधान मंत्री शील्ड प्रतियोगिता; सामुदायिक विकास कार्यक्रम; स्काउटिंग का लक्ष्य और तरीके; बेहतर नागरिक बनाने में और तरीके; बेहतर नागरिक बनाने में और सामान्य ज्ञान बढाने में स्काउटिंग कैसे उपयोगी है।

6.2 लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि, समय, स्थान आरआरसी द्वारा तय किया जाएगा और पात्र उम्मीदवारों को उचित समय पर सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन को स्थगित करने के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

6.3 लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन और इसकी गतिविधियों और सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 अंकों के वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 अंकों के निबंधात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी में होगा।

6.4 लिखित परीक्षा की अवधि 60 मिनट होगी।

6.5 आरआरसी अपने समझ-बूझ से जैसा उचित लगे और यदि आवश्यक समझे, तो सभी के लिए या सीमित संख्या में उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कर सकता है।

6.6 उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

6.7 कोई साक्षात्कार नहीं होगा।

7. ऑनलाइन आवेदन

7.1 उम्मीदवारों को **www.rrccr.com** पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

7.2 उम्मीदवारों को स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा के तहत भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आरआरसी / सीआर वेबसाइट **www.rrccr.com** पर लॉग ऑन करना होगा और व्यक्तिगत विवरण / बायो-डेटा आदि को ध्यान से भरना होगा।

नोट-I: उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। पंजीकरण के समय, उम्मीदवारों को 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर भरना होगा। जिन उम्मीदवारों के पास आधार नंबर नहीं है और जिन्होंने आधार कार्ड के लिए नामांकन किया है, लेकिन आधार कार्ड प्राप्त नहीं किया है, वे आधार नामांकन पर्ची पर मुद्रित 28 अंकों की आधार कार्ड नामांकन आईडी डाल सकते हैं।

यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर, मेघालय और असम राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों पर लागू है। इन राज्यों के आवेदक ऑनलाइन आवेदन के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र, अपना वोटर आईडी नंबर, वैध पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या कोई अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र नंबर दर्ज कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल आधार कार्ड या ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।

नोट- II: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज किए गए अनुसार बिल्कुल मेल खाना चाहिए। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान पाए जाने वाले किसी भी विचलन से मौजूदा भर्ती के लिए उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। यदि उम्मीदवार ने अपना नाम बदल लिया है तो दस्तावेज़ सत्यापन के समय राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज जो लागू हो, जमा किया जाना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में अपने बदले हुए नाम का उल्लेख करना चाहिए। हालांकि, अन्य विवरण एचएससी/एसएससी या समकक्ष प्रमाणपत्र में दिए गए विवरण से मेल खाना चाहिए। ऐसे परिवर्तन की तिथि आवेदन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए।

नोट-III: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना वर्तमान सक्रिय मोबाइल नंबर और वैध ई-मेल आईडी लिखें और उन्हें पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान चालु रखें क्योंकि आरआरसी के सभी महत्वपूर्ण संदेश ईमेल/एसएमएस द्वारा भेजे जाएंगे जिन्हें कि माना जाएगा कि उम्मीदवारों द्वारा प़ढ लिया और समझ लिया गया है।

7.3 आवेदक को अपनी पात्रता के अनुसार अधिसूचना में उल्लेखित प्रत्येक श्रेणी यानी लेवल 2 और लेवल 1 के लिए अलग से केवल एक-एक आवेदन जमा करना होगा, और एक श्रेणी यानी लेवल 2 और लेवल 1 में अलग-अलग विवरण जैसे नाम/पिता का नाम/समुदाय/ फोटो (चेहरा) / शैक्षिक और या तकनीकी योग्यता आदि डाल कर या अलग ई-मेल आईडी / मोबाइल नंबर के साथ एक से अधिक आवेदन करने वालों को सूचित किया जाता है कि ऐसे सभी आवेदनों को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।

7.4 ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान, प्रत्येक आवेदक को एक पंजीकरण आईडी जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों / आरआरसी के साथ पत्राचार के लिए अपनी पंजीकरण आईडी को सुरक्षित रखें / नोट करें।

नोट-I अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए, उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें ताकि आखिरी कुछ दिनों के दौरान इंटरनेट पर भारी लोड या वेबसाइट जाम के कारण आरआरसी की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में संभावित अक्षमता/ विफलता से बचा जा सके।

नोट- II आरआरसी उपरोक्त कारणों या किसी अन्य कारण से अंतिम दिन अपना आवेदन जमा नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

7.5 उम्मीदवार को आवेदन का प्रिंटआउट या प्रमाण पत्र या प्रतियां डाक द्वारा आरआरसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा,जिसका सत्यापन बाद की तारीख में किया जायेगा। प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण में किसी भी प्रकार का अंतर पाए जाने पर किसी भी चरण में उम्मीदवार को अपात्र घोषित किया जा सकता है।

7.6 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन का प्रिंटआउट ले लें, जिसे दस्तावेज.सत्यापन के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है।

8. स्कैन की गई फोटो/फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी

उम्मीदवारों को अपना रंगीन फोटो (आकार 3.5 सेमी X 3.5 सेमी, जो आवेदन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जेपीजी / जेपीईजी प्रारूप, 100 डीपीआई, फ़ाइल का आकार 20 केबी से 70 केबी के बीच होना चाहिए) अपलोड करना होगा जो धूप के चश्मे के बगैर होगा और जिसमें उम्मीदवार के सामने का हिस्सा स्पष्ट दिखाई दे। उम्मीदवार ध्यान दें कि आरआरसी पुरानी/अस्पष्ट तस्वीर अपलोड करने पर या आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटो और उम्मीदवार की वास्तविक शारीरिक दिखावट के बीच किसी भी महत्वपूर्ण अंतर होने पर किसी भी स्तर पर आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है। उम्मीदवारों को दस्तावे.ज सत्यापन के समय आते हुए अपने साथ उसी फोटो की दो अतिरिक्त प्रतियां लाने की सलाह दी जाती है।

9. स्कैन किए गए हस्ताक्षर /हस्ताक्षर की छवि की सॉफ्ट कॉपी

उम्मीदवारों को अपने हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे (आकार 3.5 सेमी X 2.5 सेमी, जेपीजी / जेपीईजी प्रारूप, 100 डीपीआई, फ़ाइल का आकार 20 केबी और 30 केबी के बीच होना चाहिए)। स्कैन किए गए हस्ताक्षर रनिंग हैंड में अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए और ब्लॉक/कैपिटल या बिखरे हुए अक्षरों में नहीं होने चाहिए। लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन आदि के समय अलग शैली या भाषा में किये गए हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

10. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज (साफ पढ़ने योग्य)

उम्मीदवारों को निम्नलिखित साफ पढ़ने योग्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

10.1 राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर या किसी भी अनुभाग में हिमालयन वुड बैज (एचडब्ल्यूबी) धारक की स्कैन की गई प्रति, जैसा भी हो।

10.2 अधिसूचना के अनुच्छेद 2 (ए) में निर्धारित न्यूनतम शैक्षकि योग्यता अंक सूची/ प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति।

10.3 अधिसूचना के अनुच्छेद 2 (बी) में उल्लिखित स्काउट्स एंड गाइड्स में योग्यता प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति

10.4 जन्म तिथि के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र (दसवीं की अंक सूची या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र या अंक सूची जिसमें जन्म तिथि उल्लिखित हो या विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि उल्लिखित हो)।

10.5 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति, जहां भी लागू हो।

11. लिखित परीक्षा के लिए हॉल टिकट (ई-कॉल लेटर)

11.1 उम्मीदवार की पात्रता स्थिति आरआरसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार अपनी पात्रता को आरआरसी की वेबसाइट पर जांच सकते हैं। सभी पात्र उम्मीदवारों को एसएमएस और ई-मेल भेजा जाएगा। उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अंत तक अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल सक्रिय रखें। आरआरसी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

11.2 पात्र उम्मीदवार के लिए ई-कॉल लेटर (स्क्राइब के लिए ई-कॉल लेटर के साथ, जहां भी लागू हो) आरआरसी की वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए लिखित परीक्षा शुरू होने से लगभग दो सप्ताह पहले उपलब्ध होगा। उम्मीदवार को डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने मुफ्त यात्रा अधिकार (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) का लाभ उठाने के लिए अपना उचित सामुदायिक प्रमाण पत्र अपलोड किया है, उनके लिए लिखित परीक्षा के लिए उपलब्ध ई-कॉल पत्र में मुफ्त यात्रा अधिकार भी होगा और ऐसे उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर और एससी/एसटी सर्टिफिकेट की स्व-सत्यापित प्रति जमा करने पर टिकट बुक करने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान, इन उम्मीदवारों को अपने साथ मूल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र और पहचान का एक मूल निर्धारित प्रमाण रखना होगा, ऐसा नहीं करने पर उन्हें बिना टिकट यात्री माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।

11.3 उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में ई-कॉल लेटर के साथ एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अगर उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है तो उनके नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय आदि का फोटो पहचान पत्र) लाना होगा, ऐसा न करने पर उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.4 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देने के लिए एक रंगीन फोटोग्राफ (आकार 3.5 सेमी X 3.5 सेमी) लाना होगा, जो धूप के चश्मे के बगैर होगा और जिसमें उम्मीदवार के सामने का हिस्सा स्पष्ट दिखाई दे (पैरा 8 देखें)।

11.5 आरआरसी अनंतिम रूप से पात्र उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा केंद्र, तिथि और सत्र में किसी भी बदलाव के लिए किये गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

11.6 उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे लिखित परीक्षा के लिए आते समय निम्नलिखित दस्तावेज ले जा रहे हैं:

i) ई-कॉल लेटर

ii) अनुच्छेद 7.2 . के नोट-I में उल्लिखित आधार कार्ड या फोटो पहचान पत्र

iii) एक पासपोर्ट आकार का फोटो

iv) अजा/अजजा/अपिव प्रमाणपत्र, जहां भी लागू हो

12. सहायता केंद्र

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तारीखों के दौरान ऑनलाइन आवेदन जमा करने और प्रिंट करने में कोई भी समस्या आने पर, उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर 022-67453140 पर सुबह 10:00 बजे से शाम 17:00 बजे तक कॉल कर सकते हैं (रविवार और छुट्टियों को छोड़कर)। उम्मीदवार ईमेल के माध्यम से भी **scoutsnguides@rrccr.com** पर प्रश्न भेज सकते हैं।

13. महत्वपूर्ण निर्देश

13.1 उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करें: - उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद / परीक्षा के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पद के लिए उम्मीदवारों की पात्रता उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर तय की जाएगी। यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत है या उम्मीदवार ने किसी भी प्रासंगिक जानकारी को छिपाया है या उम्मीदवार अन्यथा पद के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

13.2 दस्तावेज़ सत्यापन के दिन जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता और स्काउट और गाइड आदि के मूल दस्तावेजों प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसके बिना उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के प्रमाण पत्र के साथ अंग्रेजी / हिंदी में एक सत्यापित अनुवाद होना चाहिए। सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि स्व-सत्यापित होनी चाहिए। लिखित परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता /आवास नहीं दिया जाएगा। उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान 2-3 दिनों के लिए रुकना भी पड़ सकता है, जिसके लिए उन्हें अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। रेलवे प्रशासन के पास किसी भी तिथि/स्थान को तय करने या दस्तावेज़ सत्यापन को स्थगित करने या अप्रत्याशित कारणों से रद्द करने के सभी अधिकार सुरक्षति हैं, जिसके खिलाफ कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13.3 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को संक्षप्ति सूचना पर लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन आदि के लिए उपस्थित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को मध्य रेलवे में कहीं भी पदस्थापित किया जाएगा।

13.4 सामान्यतया, एक रेल कर्मी को उस रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में अपनी पूरी सेवा के दौरान नियोजित किया जाएगा, जहां उसे पहली नियुक्ति पर पदस्थापित किया गया था और किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में उसका कोई दावा नहीं होगा। सेवा की अनिवार्यताओं में, तथापि, यह सक्षम प्राधिकारी पर निर्भर होगा कि वह रेल कर्मी को भारत में या उसके बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग या प्रभाग/इकाई या रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है।

13.5 चयनित उम्मीदवारों को पद के लिए जहां कहीं प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है, प्रशिक्षण लेना होगा।

13.6 प्रारंभिक नियुक्ति पर परिलब्धियां, वेतन के स्तर का न्यूनतम वेतन और उस समय स्वीकार्य अन्य भत्ते होंगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल लागू वजीफे का ही भुगतान किया जायेगा। उम्मीदवारों को जहां भी आवश्यक हो, सुरक्षा जमा राशि देनी होगी और क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करना होगा।

13.7 अंतिम रूप से नियुक्त चयनित पुरुष उम्मीदवार प्रादेशिक सेना के रेलवे इंजीनियर्स इकाई में सक्रिय सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

13.8 इस अधिसूचना में इंगित रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और रेलवे प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के आधार पर बाद के चरण में घट सकती है या शून्य भी हो सकती है। रेलवे प्रशासन अपने विवेकानुसार अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षति रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा। अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने की स्थिति में, उम्मीदवारों द्वारा भरा गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

13.9 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित की जाने वाली आवश्यक मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करने, शैक्षिक और सामुदायिक प्रमाण पत्र के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त / चरित्र के सत्यापन के अधीन है।

13.10 उम्मीदवार जो पहले से ही पीएसयू / सरकारी संगठनों में नौकरी कर रहे हैं और उपरोक्त के लिए पात्र हैं, उन्हें स्काउटिंग स्किल असेसमेंट के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।

13.11 भर्ती के सभी चरणों में उम्मीदवार का प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा बशर्ते कि वह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। उम्मीदवारों को केवल कॉल लेटर/ई-प्रवेश पत्र जारी करने का यह अर्थ नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी को आरआरसी द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

13.12 स्काउट्स एंड गाइड्स कोटे के तहत भर्ती किए गए उम्मीदवारों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी, यदि उनके द्वारा भर्ती के लिए दी गई जानकारी और दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत / नकली पाए जाते हैं।

13.13 पात्रता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति आदि से संबंधित सभी मामलों में चयन समिति / प्रशासन का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.14 जिन उम्मीदवारों को किसी भी आरआरबी / आरआरसी परीक्षा से जीवन भर के लिए या निर्दिष्ट अवधि जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, के लिए विवर्जित किया गया है, उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान इस बारे में पता चलने पर उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

13.15 लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन आदि के समय अलग शैली या भाषा में हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

13.16 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा के लिए मुफ्त यात्रा अधिकार (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-'डी' के अनुसार) अपलोड करना चाहिए। आरक्षण प्राप्त करने और यात्रा के दौरान आरक्षण क्लर्क और/या टिकट जांच कर्मचारी उम्मीदवार की प्रमाणिकता के सत्यापन के लिए मूल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र मांगेंगे।

13.17 अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 13/12/2021 से एक वर्ष के भीतर सेवामुक्त होने वाले सेवारत रक्षा कार्मिक भी आवेदन कर सकते हैं।

13.18 आरआरसी केवल सफल उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा करता है। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, मध्य रेलवे द्वारा प्रबंधित की जाती है।

14. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रतिबंधित

14.1 जिस परिसर में परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, पेजर, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी अन्य संचार उपकरण को लाने की अनुमति नहीं है। इन निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक/न्यायिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य में परीक्षाएं देने पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

14.2 उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर सहित किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को न लाएं, क्योंकि इनको सुरक्षति रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

15. अविधिमान्य आवेदन/अस्वीकृति

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले सभी निर्देशों को अच्छी तरह से पढ.लें; अन्यथा उनके आवेदन निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से अस्वीकार किए जा सकते हैं:

15.1 कैपिटल अक्षरों में स्कैन किए गए हस्ताक्षर / स्कैन किए गए हस्ताक्षर के बिना आवेदन।

15.2 स्कैन फोटो के बिना आवेदन।

15.3 स्कैन किए गए विकृत/छोटे आकार/पहचानने अयोग्य फोटो या गॉगल पहने हुए फोटो के साथ आवेदन।

15.4 आवेदन जमा करने की तिथि पर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक और स्काउट्स / गाइड योग्यता नहीं रखते हैं।

15.5 अधिक आयु या कम आयु, जन्म तिथि नहीं भरी गई या गलत तरीके से भरी गई।

15.6 उम्मीदवार का नाम विवर्जित सूची में आना।

15.7 एक ही पद के लिए विभिन्न विवरणों के साथ कई आवेदन।

15.8 रु. 500/- या रु. 250/ के परीक्षा शुल्क के बिना आवेदन, जहां लागू हो या कम शुल्क।

15.9 अन्य किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर

16. सामान्य शर्तें:

16.1 किसी भी रूप में प्रचार करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

16.2 उम्मीदवारों को उचित प्राधिकारी से उचित प्रोफार्मा में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों के सत्यापन पर पुस्तिका (भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित) के अध्याय 13 के अनुसार इसकी सख्त आवश्यकता है।

16.3 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार के पद से नीचे नहीं) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की ज़ेरॉक्स कॉपी। ओबीसी उम्मीदवार भी दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा 01/04/2021 को या उसके बाद जारी केंद्र सरकार के प्रारूप में ओबीसी नॉन-क्रीमी-लेयर प्रमाणपत्र अपलोड करेंगे। प्रमाणपत्रों में जाति, जारी करने की तिथि आदि शामिल होनी चाहिए और जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक - 'डी' और ओबीसी के लिए अनुलग्नक - 'ई' के अनुसार होगा।

17. प्रतिरूपण /तथ्यों को छिपाया जाना, चेतावनी

17.1 किसी भी उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में प्रतिरूपण का प्रयास नहीं करना चाहिए ना ही किसी भी प्रतिरूपणकर्ता की मदद लेनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को सभी आरआरसी परीक्षाओं में शामिल होने से आजीवन विवर्जित कर दिया जाएगा और साथ ही रेलवे में किसी भी प्रकार की नियुक्ति से विवर्जित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

17.2 परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले या खुद की जगह किसी अन्य को परीक्षा में बैठने के लिए भेजने वाले किसी भी उम्मीदवार को आरआरबी / आरआरसी की सभी परीक्षाएं देने से जीवन भर के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा। उन्हें रेलवे में नियुक्ति से भी विवर्जित कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार अभियोजन के लिए भी भागी हैं।

17.3 आरआरसी को कोई भी गलत जानकारी देने से या किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी को जानबूझकर छिपाने से उम्मीदवार अयोग्य हो जायेगा और रेलवे में नियुक्ति के लिए किसी भी चयन या परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित कर दिया जाएगा और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवा समाप्त की जा सकती है।

17.4 पात्रता हासिल करने और/या परीक्षा में शामिल होने के लिए मुफ्त यात्रा सहित विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा तथ्यों को छिपाने या जाली प्रमाणपत्र/जाति प्रमाण पत्र जमा करने पर उस विशिष्ट भर्ती के लिए उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा जिसके लिए वह/ उसने आवेदन किया है। इसके अलावा, उसे 2 साल की अवधि के लिए पूरे देश में सभी आरआरबी/आरआरसी परीक्षाओं से भी विवर्जित कर दिया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

17.5 एक उम्मीदवार को एक निर्दिष्ट अवधि/जीवन काल के लिए सभी आरआरसी की परीक्षाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा यदि (i) उम्मीदवार अलग-अलग समुदाय के साथ कई आवेदन जमा करता है, (ii) उम्मीदवार अलग-अलग फोटो (चेहरे) के साथ कई आवेदन जमा करता है और (iii) उम्मीदवार विभिन्न दस्तावेजों के साथ कई आवेदन जमा करता है।

18. अन्य मामले

18.1 मौजूदा नियमों के अनुसार इस अधिसूचना के नियमों और शर्तों में बाद में कोई भी परिवर्तन मान्य होगा। आरआरसी आवश्यक और लागू होने पर इस अधिसूचना के तहत भर्ती के नियमों और शर्तों में बाद में परिवर्तन / संशोधन / परिवर्धन करने का अधिकार सुरक्षति रखता है।

18.2 उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे अपने डाउनलोड किए गए आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। भर्ती के आगे के चरण में किसी भी दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा और भर्ती के किसी भी स्तर पर पात्रता शर्तों/शर्तों को पूरा नहीं करने वाले किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार आरआरसी/सीआर के पास सुरक्षति है।

18.3 रेलवे प्रशासन द्वारा उम्मीदवार का चयन, पद के लिए उम्मीदवार को कोई निर्देशात्मक अधिकार प्रदान नहीं करता है।

18.4 यदि पते में कोई परिवर्तन होता है, तो उम्मीदवार को अपने हित में संबंधित डाकघर के साथ, पत्रव्यवहार को पुराने से नए पते पर पुनर्निर्देशित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

18.5 पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त पास जारी करना, झूठी सूचना के लिए दंड, चयन का तरीका, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा.और इस संबंध में किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर रेलवे प्रशासन द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

18.6 ई-मेल या एसएमएस के वितरण में किसी भी देरी के लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। उम्मीदवारों को अपने स्पैम ईमेल फ़ोल्डर की भी जांच करनी चाहिए।

18.7 नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को चयनित पद के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार अपेक्षति मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा।

18.8 भर्ती के किसी भी चरण में अनजाने में हुई त्रुटि या चूक को सुधारने का अधिकार रेलवे प्रशासन के पास सुरक्षति है और गलती से नियुक्त उम्मीदवार को रेलवे सेवा से तुरंत हटा दिया जाएगा।

19. विविध

19.1 सभी अनुलग्नकों के साथ अधिसूचना आरआरसी की वेब साइट पर भी उपलब्ध होगी।

19.2 आरआरसी किसी भी स्तर पर अतिरिक्त परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन आयोजित करने का अधिकार सुरक्षति रखता है। आरआरसी इस रोजगार सूचना में अधिसूचित किसी भी पद के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया को आंशिक या पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

19.3 चयनित उम्मीदवारों की योग्यता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, झूठी सूचना के लिए जुर्माना, मुफ्त रेल पास जारी करना, चयन का तरीका, लिखित परीक्षा आयोजित करना, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन, पदों के आवंटन इत्यादि से संबंधित सभी मामलों में आरआरसी का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और आरआरसी द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं कियानहीं किया जाएगा।

19.4 अनजाने में हुई किसी त्रुटि के लिए आरआरसी जिम्मेदार नहीं होगा।

19.5 व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

19.6 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि किसी भी बदलाव और सूचना/परीक्षा कार्यक्रम आदि के अद्यतन के लिए वे नियमित रूप से आरआरसी की वेबसाइट देखते रहें।

20. कानूनी मामले

इस रोजगार सूचना से उत्पन्न होने वाला कोई भी कानूनी मामला केवल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुंबई के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगा।

21. महत्वपूर्ण सलाह

रेलवे भर्ती सेल, मध्य रेलवे ने अपनी ओर से किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर को कार्रवाई के लिए नियुक्त नहीं किया है। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के लालच में न आएं।

नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए रेलवे के अधिकारियों को किसी भी रूप में याचना करने पर सख्ती से निपटा जाएगा।

लोक सेवा में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक गंभीर मामला है। आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे पूरी गंभीरता से लें। आवेदकों द्वारा गलत सूचना प्रस्तुत कर प्रक्रिया में हेराफेरी करने के किसी भी प्रयास या अश्लील/आपत्तिजनक फोटो या मामले को अपलोड करके शरारत करने जैसे मामलों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा और वे अन्य प्रशासनिक कार्रवाई के अलावा आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

अधिसूचना के हिंदी संस्करण में विरोधाभास होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगी ।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती सेल,
मध्य रेलवे

डीए: अनुलग्नक 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' और 'ई'.

अनुलग्नक "ए"

सक्रियता का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ------------------राज्य/जिला/मंडल के श्री/सुश्री ------------------, दिनांक ------------------ से आज तक (अवधि वित्तीय वर्ष 2016-17 सहित होनी चाहिए), राज्य/जिला संघ के साथ विधिवत पंजीकृत ------------------समूह का एक सक्रिय सदस्य है।

दिनांक:

मुहर और कार्यालय स्टाम्प/टिकट

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम	नाम
समूह का नेता (एसएंडजी)	डीओसी (एसएंडजी)	डीसी (एसएंडजी)

अनुलग्नक "बी"

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए घोषणापत्र

यह घोषित किया जाता है कि मैं, ------------------------------

धर्म ------------------------------

से हूं जो अल्पसंख्यक समुदाय है। अत: मैं परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट की मांग करता हूँ। मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं कि यदि मैं उपयुक्त पाया जाता हूं, तो दस्तावेजों के सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर "अल्पसंख्यक समुदाय घोषणापत्र" हलफनामा प्रस्तुत करूंगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम ------------------------------

दिनांक ------------------------------

स्थान ------------------------------

अनुलग्नक "सी"

पत्र संख्या ई (आरआरबी)/2009/25/21 दिनांक 28/10/2009 के अनुच्छेद 3 के अनुसार पत्रशीर्ष पर जारी होने वाले आय प्रमाण पत्र का प्रारूप

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.बी.सी.) की परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए आय प्रमाण पत्र

1. उम्मीदवार का नाम :
2. पिता / पति का नाम :
3. आयु :
4. घर का पता :
5. वार्षिक पारिवारिक आय :
   (अंकों और शब्दों में)
6. जारी करने की तारिख :
7. जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर :
8. जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम :
9. जारीकर्ता प्राधिकारी का स्टाम्प :

अनुलग्नक "डी"

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ..../श्रीमती. ....का पुत्र/पुत्री* .... गांव/नगर* के .... जिला/मंडल* .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का* .... जाति/जनजाति* का है, जिसे निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिङ के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है:

संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) (केंद्र शासित प्रदेश) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) (केंद्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951 डअनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा संशोधित अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976.

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 @ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित।

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@

संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@

संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991@

संविधान (एसटी) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@

संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996

%2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में आवेदन जो एक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से स्थानांतरण कर चुके हैं

यह प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती/* ...., श्री/श्रीमती/कुमारी.................................के........................पिता/माता......................... गांव/ नगर का* ....राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के*.............................. जिला/मंडल*, जो .... जाति/जनजाति* से संबंधित है, जिसे ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में .... दिनांक से मान्यता प्राप्त है* ....% द्वारा जारी किया जाता है।

%3.श्री/श्रीमती/कुम* ....और/या उसका परिवार, आमतौर पर* .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के ....जिला/मंडल* के .... गांव/कस्बे में रहता है ।

हस्ताक्षर ....

पद..............................

(कार्यालय की मुहर के साथ)

दिनांक ....

स्थान ....

(*) कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं

(@) कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश का उल्लेख करें

(%) जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

नोट: शब्द* सामान्य रूप से निवास करता है* का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची:

i. जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट

ii. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

iii. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।

iv. उस क्षेत्र के उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

नोट: तमिलनाडु राज्य से संबंधित एसटी उम्मीदवारों को केवल राजस्व मंडल अधिकारी से जाति प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए।

अनुलग्नक "ई"

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी * ....

श्री/श्रीमती .... के पुत्र/पुत्री,.............................गाँव/नगर* के ....

जिले के .... राज्य के............. समुदाय का है जिसे ....(उप-जाति को दर्शाता है) के तहत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

1) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी(सी) दिनांक 10 सितंबर 1993-असाधारण-भाग 1 खंड 1, क्रमांक 186 दिनांक 13 सितंबर 1993
2) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/94-बीसीसी, दिनांक 19 अक्टूबर 1994, - असाधारण - भाग 1 खंड 1, क्रमांक 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994
3) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24 मई 1995, - असाधारण - भाग 1 खंड 1, क्रमांक 88 दिनांक 25 मई 1995
4) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 6 दिसंबर 1996, - असाधारण - भाग 1 खंड 1, क्रमांक 210 दिनांक 11 दिसंबर 1996
5) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी - असाधारण क्रमांक 129 दिनांक 8 जुलाई 1997
6) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/12/96-बीसीसी-असाधारण क्रमांक 164 दिनांक 1 सितंबर 1997
7) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/99/94-बीसीसी - असाधारण क्रमांक 236 दिनांक 11 दिसंबर 1997
8) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/13/97-बीसीसी - असाधारण क्रमांक 239 दिनांक 3 दिसंबर 1997
9) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/12/96-बीसीसी - असाधारण क्रमांक 166 दिनांक 3 अगस्त 1998
10) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी - असाधारण क्रमांक 171 दिनांक 6 अगस्त 1998
11) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/98-बीसीसी-असाधारण क्रमांक 241 दिनांक 27 अक्टूबर 1999
12) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी - असाधारण क्रमांक 270 दिनांक 6 दिसंबर 1999
13) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/36/99-बीसीसी - असाधारण क्रमांक 71 दिनांक 4 अप्रैल 2000

श्री/श्रीमती/कुम*... और/या उसका *परिवार आमतौर पर .... जिले के .... राज्य में रहता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह * कॉलम 3 (भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुसूची के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था (एससीटी) दिनांक 8/9/1993) और भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004/स्था.(आरईएस.) दिनांक 09.03.2004 द्वारा संशोधित में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है ।

(*) कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं

जिला मजिस्ट्रेट/उप. आयुक्त आदि

(कार्यालय की मुहर के साथ)

दिनांक ....

स्थान ....

(*) कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं

क. "आम तौर पर निवास करते हैं" शब्द का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

ख. जहां प्रमाण पत्र केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के राजपित्रत अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं, वे एक ही रूप में होने चाहिए लेकिन जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए (राजपित्रत अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र और जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त द्वारा प्रमाणित पर्याप्त नहीं हैं)

i. केवल निम्न अधिकारियों द्वारा जारी किया गया ओबीसी प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा: -

ii. जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी के वजीफा मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)/* उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

iii. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

iv. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।

उस क्षेत्र के उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।